



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 44397 वर्ष 2025

मजीद खान

आवेदक/आवेदकों

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

विपक्षी पक्ष

आवेदक के लिए अधिवक्ता: राजा सहनी, संजय कुमार लोहमी, तरूण केदार नाथ सिंह, उमेश सिंह

विपक्षी के लिए अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता., पुष्पेन्द्र सिंह निरंजन, सौरभ श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री उमेश सिंह और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की तर्क सुने और अभिलेख का अवलोकन किया।

यह जमानत अर्जी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत आरोपी-आवेदक माजिद खान की ओर से दायर की गई है। इसमें निचली अदालत में चल रहे मुकदमे के दौरान जमानत पर रिहाई की मांग की गई है। यह मामला कोतवाली उरई पुलिस स्टेशन, जिला जालौन का है और मुकदमा अपराध संख्या 516/2025 है, जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 115(2), 324(6), 191(2), 351(2), 308(2), 317(3) के तहत दर्ज है।

आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एफआईआर में उनका नाम नहीं है, उन्हें 02.09.2025 को गिरफ्तार किया गया था और 17.10.2025 को चार्जशीट दाखिल की गई थी। आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इसी मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 30.08.2025 से जेल में बंद है। आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि वह दो अन्य आपराधिक मामलों में भी फंसा हुआ है और जमानत पर रिहा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



होने की स्थिति में उसके न्याय से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है। मुख्य अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का कठोर विरोध किया है।

उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

उपरोक्त मामले में अभियुक्त -आवेदक, मजीद खान, अपराध संख्या को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के स्वीय बंधपत्र और दो विश्वसनीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

13 जनवरी, 2026

प्रियंका

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।